औद्योगिक बिजली दरों पर संतुलित निर्णय लेने पर फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सिलवासा ने जेईआरसी का माना आभार

■ फेडरेशन ने प्रशासक प्रफुल पटेल एवं विद्युत सचिव एस. एस. यादव एवं विद्युत वितरण निगम के सहयोग का भी जताया आभार

दानह फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अध्यक्ष चंद्रकांत पारेख

सिलवासा 14 जून। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली विद्युत वितरण निगम द्वारा गुडगांव स्थित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग में फाइल किए गए एआरआर पर जनसुनवाई करने के बाद पिछले दिनों जेईआरसी ने दादरा नगर हवेली की विद्युत दरों पर नए मूल्य तय किए। जिसके अनुसार दादरा नगर हवेली में घरेलू कृषि तथा कॉमर्शियल विद्युत दरों पर किसी तरह की बढ़ोतरी एवं कटौती नहीं की गई है। वहीं दादरा नगर हवेली की औद्योगिक विद्युत दरों पर संतुलित निर्णय लेकर तकनीकी रूप से दादरा नगर हवेली के उद्योगों को राहत पहुंचाने पर दादरा नगर हवेली के सभी औद्योगिक संगठनों ने संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के इस संतुलित निर्णय का स्वागत किया है। वहीं फेडरेशन ऑफ सिलवासा के अध्यक्ष चंद्रकांत पारेख ने जेईआरसी (संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग) के पदाधिकारियों द्वारा दादरा नगर हवेली के उद्योगों के हित में लिए गए इस संतुलित निर्णय का तहेदिल से स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया है। दादरा नगर हवेली फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष चंद्रकांत पारेख एवं महासचिव अतुल शाह एवं उपाध्यक्ष राजन अग्रवाल के अलावा सिलवासा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव कपूर, (समाचार का शेष पेज 2 पर)

(पेज 1 का शेष समाचार)

औद्योगिक बिजली दरों पर संतुलित निर्णय लेने पर फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सिलवासा...

दादरा नगर हवेली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत यादव, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारी अजीत देशपांडे, डॉक्टर रत्नाकर शिल्के एवं नरेन्द्र त्रिवेदी, सुनील इजारे ने संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन एम. के. गोयल, संयुक्त विद्युत विनियामक की सदस्या नीरजा माथुर, कमीशन के सचिव कीर्ति तिवारी एवं संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किए गए इस भरपूर सहयोग के लिए तहेदिल से आभार व्यक्त किया है। चंद्रकांत पारेख ने बताया कि विद्युत विनियामक आयोग द्वारा सुनाए गए निर्णय को इसी बात से संतुलित कहा जा सकता है कि आयोग ने किसी भी स्लैब में विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी नहीं की है। उन्होंने कहा कि खासकर सब सभी प्रकार की औद्योगिक विद्युत दरों में विद्युत विनियामक आयोग ने काफी मशक्कत करके जिस तरह से संतुलित निर्णय दिया है उससे आने वाले 1 वर्षों में सभी उद्योगों को फायदा छोड़ नुकसान नहीं होने वाला है। विद्युत विनियामक आयोग द्वारा सुनाए गए निर्णय में 11 केवीए के लिए प्रति यूनिट का मूल्य जहां पहले 3.40 था वहीं अब यह 3.25 हो गया है। जबकि पहले डिमांड चार्ज 275 रुपए केवीए था, अब यह बढ़कर 300 केवीए हो गया है जिससे डिमांड चार्ज में कुल इफेक्ट 11 पैसे का हो रहा है। जिससे इस स्लैब में औद्योगिक विद्युत दरों में 11 पैसे का उपभोक्ताओं को लाभ मिलने का अनुमान है। वहीं 11 केवीए 4 एमवीडब्ल्यू प्रति यूनिट मूल्य 3.40 रुपए था, जो अब घटकर 3.15 रूपये हो गया है। इस विद्युत स्लैब पर डिमांड चार्जिस पहले जहां 275 रुपए थे वहीं अब 350 रुपए हो गए हैं। इससे विद्युत दरों एवं डिमांड चार्जिस के अंतर को मिलाया जाए तो यूनिट दर पर 11 पैसे का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसके अलावा 66 केवीए का प्रति यूनिट चार्ज 3.40 रुपए था वही यह अब 3.10 रुपए हो गया है इसलिए डिमांड चार्ज पहले 275 रुपए था अब यह 400 रुपए हो गया हैं। जिसके नेट यूनिट प्राइस और डिमांड चार्ज का अंतर भी उपभोक्ताओं को लगभग 11 पैसे का लाभ दिलाएगा। वहीं 220 केवीए का पुराना चार्ज जहां 3.30 रुपए थे वहीं अब यह 3.05 रुपए हो गए हैं। इसके अलावा इस पर डिमांड चार्ज पहले 275 रुपए थे जो अब 450 रुपए हो गए हैं। इसके नेट यूनिट प्राइस और डिमांड ऑफ चार्ज में अंतर करने पर उपभोक्ताओं को लगभग 11 पैसे का भी लाभ हो सकता है। वहीं संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग ने सबसे बड़ा फैसला एफपीपीसीए चार्ज पर सुनाया है। आयोग के निर्णय के अनुसार पहले फ्यूल एंड पावर पर्चेजिंग कास्ट एडजस्टमेंट का चार्ज जहां प्रति यूनिट पर 3.25 रुपये लगता था उसे अब 4.9 49 पैसे कर दिया गया है। आयोग ने यह भी कहा है कि अगर 4.49 खरीद दर पर प्रति यूनिट आएगा तभी फ्यूल एंड पावर परचेज कास्ट एडजस्टमेंट से ज्यादा एफपीपीसीए चार्ज जाता है तो ही उपभोक्ताओं से चार्ज लिए जाएंगे नहीं तो किसी पर भी स्लीप पर यह एफपीपीसीए का चार्ज उपभोक्ता से नहीं लिया जाएगा। संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग द्वारा फ्यूल एंड पावर पर्चेजिंग कास्ट एडजस्टमेंट पर दिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय पर उपभोक्ताओं को खासकर विद्युत उपभोक्ताओं को पूरी तरह से अब इस अतिरिक्त चार्ज से आजादी मिल जाएगी। इसलिए फेडरेशन के सभी सदस्य एवं पदाधिकारी तथा सिलवासा इंडस्ट्रीज फेडरेशन के अध्यक्ष चंद्रकांत पारीख ने बीआरसी के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के इस निर्णय में तहेदिल से मेहनत करने एवं दादरा नगर हवेली के औद्योगिक हितों के लिए रात-दिन मेहनत करने पर तहेदिल से बधाई व्यक्त की है। फेडरेशन के अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग द्वारा ऐसे दौर में यह फैसला सुनाया गया है जब दादरा नगर हवेली ही नहीं पूरा देश औद्योगिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में यह दादरा नगर हवेली उद्योगों के लिए एक तरह से अमृत के समान निर्णय होगा जो आने वाले दिनों में दादरा नगर हवेली के उद्योगों के भविष्य को सुरक्षित रख सकेगा और यह दादरा नगर हवेली के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय साबित होगा। चंद्रकांत पारेख ने कहा है कि इस ऐतिहासिक निर्णय में जिस तरह से जीईआरसी का सहयोग दादरा नगर हवेली के उद्योगों को रहा है उसी तरह प्रशासक प्रफुल पटेल एवं विद्युत सचिव एस. एस. यादव एवं दानह विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी रहा है क्योंकि उनके द्वारा फाइल किए गए एआरआर के आधार पर ही इस तरह का ऐतिहासिक निर्णय आया है।